Hindustan Times

NHRC asks Centre, states to maintain Covid-19 dashboards

https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-asks-centre-states-to-maintain-covid-19-dashboards-101620212373682.html

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Centre and state governments to maintain universally functional Covid-19 dashboards displaying real time availability of isolation beds, oxygenated beds, ICU beds and ventilator support beds so that every person can get the treatment as a basic human right.

In a detailed advisory sent on Tuesday evening amid the devastating second wave, the NHRC has also said that there should be universal coverage and non-discriminatory pricing of Covid vaccines in all health facilities in the country, and if feasible, "vaccination should be made free for everyone" irrespective of private or public health establishment.

The apex human rights body has stated the vaccination should reach the people who are most vulnerable and at the most risk like destitute, homeless, prisoners, migrant workers, beggars, etc; and the arrangements for people not in possession of Aadhar cards or other documents must be made.

It has said the government should plan its Covid-19 response in a way that the country is prepared for another wave in the future.

Planning must be done for increasing the number of beds, especially ICU beds, and strict measures must be adopted throughout the year to maintain adequate stocks of resources, including RT-PCR testing requirements, essential medicines, vaccines, oxygen, ICU equipment etc., in all the clinical establishments," according to the advisory, seen by HT.

The Commission has acted on ground reports related to human rights violation, particularly people being denied basic right to access healthcare.

Asserting that India is now facing a public health emergency of unprecedented proportion, the NHRC said the acute shortage of critical care beds, oxygen supplies, essential medicines, emergency transport and other facilities is resulting in high mortality and putting a huge burden on the hospitals and healthcare professionals, beyond their capacity so much so that the healthcare infrastructure of the country appears to be on the verge of a breakdown.

Apart from asking states and Centre to ensure seamless supply of oxygen, NHRC has said every Covid-19 patient, whether his report is positive or not, must get treatment free of cost in public health facility. If there are no beds in private hospitals, it is the obligation of health department (of respective states) to provide care to the patient.

It said, "no patient or family should be left to cater on their own".

HINDUSTAN TIMES, Online, 6.5.2021

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

For private hospitals charging exorbitant amounts from patients, the NHRC has said the government should deploy officials to audit adherence of private hospitals for ensuring regulation of rates for Covid patients. "Bills of higher amount, say more than [Rs] 1.5 lakh, may be randomly checked/audited, and all hospitals must provide a detailed itemised bill to the patients or their caregivers," NHRC advisory says.

It has also asked the government to cap the prices of Covid-19 treatment resources such as essential medicines, oxygen cylinders, ambulance services, etc., so that patients/families are not exploited. "A Grievance Redressal Mechanism must be established by the Centre and state governments in this regard," it said.

Similarly, it has asked for action on hoarders/black-marketers, adding that people complaining against such acts should not be harassed by the administration.

The human rights body has asked authorities to improve the management of crematoriums and burial grounds to reduce waiting time for cremations/burials by adding more such facilities. Use of electric crematoriums should be promoted by the stakeholders. It has recommended building an App for cremations and burials.

Significantly, NHRC has said that exact reporting of Covid cases or related deaths should be encouraged to portray the correct picture and magnitude of the problem.

Quint

'Decongesting Prisons Is About Public Health, Not Crime'

https://www.thequint.com/news/law/decongesting-prisons-is-about-public-health-not-crime

Shift Prisoners To Jails Closer To Family

On May 03, the Jammu & Kashmir High Court Bar Association (JKHBA) urged the central government and the Union Territory of J&K to pay attention to the pains of incarceration of Kashmiri prisoners.

The Bar wanted the Kashmiri prisoners locked up in jails outside Kashmir to either be shifted to jails in the Kashmir valley or be released on parole.

The lockdown has caused severe hardships to the families of the Kashmiri prisoners, who are concerned about the health and lives of their kin incarcerated outside the valley. Due to the geographical distance and denial of paroles, it has become nearly impossible for Kashmiri prisoners to maintain ties with their loved ones, causing them severe psychological and emotional distress.

The Courts and HPCs Must Prioritise Vulnerability

The demand for acknowledging the vulnerability of various special categories of prisoners has been made across the board. The courts and the HPCs can't turn a blind eye to this issue, especially when the national and international bodies have all echoed the same demand.

The NHRC's 'Human Rights Advisory on the Rights of Persons with Disabilities in context of COVID-19' (September 2020) has also emphasized the need to recognise the specific needs of persons with disabilities in institutions and calls upon the state to take necessary steps to combat the pandemic.

Even international organisations such as the UN High Commissioner for Human Rights, World Health Organisation, and UN Office on Drugs and Crime, have urged national governments to decongest prisons and treat pre-trial incarceration as a "method of last resort".

The HPCs and the courts, therefore, cannot approach the issue of decongesting prisons solely from the crime-centric approach. Doing so, would not only defeat the efforts of curbing the spread of the deadly virus, but would also violate the prisoners' constitutional right to life.

Republic World

Amid post-poll violence in Bengal, 300-400 BJP workers seek shelter in Assam says Himanta

https://www.republicworld.com/india-news/politics/amid-post-poll-violence-in-bengal-300-400-bjp-workers-seek-shelter-in-assam-says-himanta.html

Amidst post-poll violence in West Bengal, Assam Health Minister Himanta Biswa Sarma revealed that almost 300-400 Bengal BJP workers had crossed over to Dhubri in Assam to escape the brutality under the TMC regime. Taking to Twitter, Himanta Biswa Sarma shared images of the workers who had lined up in Dhubri stating that the Assam government was providing them with shelter and food. He also hit out at West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee asking her to stop this 'ugly dance of demonocracy.'

West Bengal post-poll violence

After the TMC returned to power with a thumping majority, violence ensued onto the streets of West Bengal with its cadres allegedly attacking BJP and Left workers in the state. Both the BJP and the CPI(M) have alleged that its workers were being killed in the name of its 'victory celebrations' after the results.

While the Ministry of Home Affairs has sought a detailed report from the state government regarding the post-election violence targeting the opposition party's political workers in the state, PM Modi has called up WB Governor Jagdeep Dhankhar and expressed his anguish at the law and order situation.

On May 4, BJP National President JP Nadda visited Bengal to meet the bereaved families assuring that justice will be served to the victims in a democratic manner. "Mamata Ji, what your party has done after victory, shows how much you and your party workers believe in democracy. The TMC workers and the politician are claiming that the clips of these incidents doing the rounds on social media are nothing but fake news. I would like to request the media to tell the truth to the nation," said Nadda.

Several human rights bodies such as the National Human Rights Commission (NHRC), the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and the National Commission for Women (NCW) have also raised concerns over the violence in the Mamata Banerjee-ruled state and sought an inquiry.

Reuters

Post-election violence kills six in eastern India

https://www.reuters.com/world/india/post-election-violence-kills-six-eastern-india-2021-05-05/

At least six people have been killed in post-election violence in India's West Bengal state, police officials said on Wednesday, after a regional group beat Prime Minister Narendra Modi's party in a bitterly fought contest.

The regional Trinamool Congress (TMC) retained control of the populous eastern state in results declared on Sunday, with Modi's Bharatiya Janata Party (BJP) emerging as the main opposition there for the first time. read more

A senior West Bengal police official said the violence had been particularly intense in at least six districts scattered across the state, with homes of some 100 political workers from both sides attacked and vandalised.

"In Cooch Behar district in North Bengal there have been at least 25 separate clashes between TMC and BJP workers ever since the results were declared," the official said, declining to be identified as he is not authorised to speak to media.

Both parties said their workers were being targeted by rivals.

"Our party workers are being hounded out in the rural belts and houses have been torched," said Shisir Bajoria of the BJP, which staged a sit-in protest at its headquarters in the state's capital city, Kolkata.

Subrata Mukherjee, a senior TMC leader, told Reuters that at least two of the party's workers had been killed in recent days. "It was the TMC workers who were on the receiving end," Mukherjee said.

West Bengal has a history of political violence, including flare-ups after elections. After the last general election in 2019, which Modi won convincingly, at least 15 people were killed in clashes.

India's National Human Rights Commission said on Tuesday it would send an investigation team to the state.

TMC chief Mamata Banerjee, who was sworn in as West Bengal's chief minister for the third time on Wednesday, said there had been sporadic violence, and blamed the BJP for it.

"I am for peace," Banerjee told reporters. "I will appeal to all sides to contain violence."

NDTV

बंगाल हिंसा : गृह मंत्रालय ने भेजा दूसरा पत्र, राज्य सरकार को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

https://ndtv.in/india-news/home-ministry-sent-second-letter-to-west-bengal-over-violence-warned-of-stern-action-2430206

तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल (West Bengal CM) के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. TMC ने भारी बहुमत से चुनाव जीता और एक बार फिर पार्टी सत्ता पर काबिज हुई. दीदी के शपथ वाले दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को हिंसा के बाबत दूसरा पत्र लिखा. गृह मंत्रालय ने पूछा कि पिछले महीने हुए चुनावों के बाद हिंसा रोकने के उपायों के बारे में जवाब क्यों नहीं दिया गया.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने दूसरे पत्र में लिखा, 'मैं आपको याद दिलाता हूं कि मतदान के बाद 3 मई को हुई हिंसा के बारे में जानकारी मांगने के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है. इस दूसरे पत्र का गैर-अनुपालन गंभीरता से लिया जाएगा.' गृह सचिव ने राज्य सरकार को दो दिन पहले अपना पहला पत्र लिखा था.

शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने बंगाल में कोविड पर कंट्रोल के लिए लगाई पाबंदियां, पढ़ें अहम बातें

अजय भल्ला ने राज्य सरकार से पूछा कि हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए गए. उन्होंने लिखा कि ताजा रिपोर्ट है कि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा नहीं थमी है. हिंसा को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं और उसी के संबंध में रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी बंगाल में हुई हिंसा का संज्ञान लिया है. आयोग ने डिप्टी आईजी (अन्वेषण) को एक टीम बनाने के लिए कहा है, जो इस मामले की जांच करेगी. आयोग ने टीम को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

बंगाल हिंसा पर आया ओवैसी का बयान, बोले- लोगों की जान बचाना सरकार का पहला कर्तव्य

कई अन्य मानवाधिकार संस्थाओं ने भी बंगाल हिंसा पर चिंता जताई है और जांच की मांग की है. BJP और लेफ्ट ने TMC पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद TMC कार्यकर्ताओं ने जश्न के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया. TMC और बंगाल पुलिस ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरें पुरानी घटनाओं की हैं. मंगलवार को BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने बंगाल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा, 'ममता जी आपकी पार्टी ने जीत के बाद जो कुछ भी किया, यह ये दिखाता है कि आपके पार्टी कार्यकर्ता लोकतंत्र में कितना विश्वास रखते हैं. आपके नेता कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो क्लिप फर्जी हैं. मैं मीडिया से आग्रह करूंगा कि वे देश को सच बताएं.'

TMC नेताओं ने BJP के आरोपों पर कहा है कि उनका इस तरह की घटनाओं से कोई लेनादेना नहीं है. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि वे लोग कोविड नियमों का पालन करें.

The Hindu

NHRC issues advisory on ensuring patients' rights during second wave

https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-issues-advisory-on-ensuring-patients-rights-during-second-wave/article34487530.ece

The National Human Rights Commission on Tuesday issued an advisory to the Centre and States on ensuring rights during the second wave of the pandemic, stating that gaps were "apparent in the system related to patients' access to life-saving healthcare".

In a letter to the Health and Family Welfare Ministry Secretary and Chief Secretaries, NHRC secretary general Bimbadhar Pradhan said the Commission issued the advisory taking into account the reports of human rights violations, particularly denial of the right to access healthcare. The advisory would be in addition to the earlier one issued in September 2020. The authorities were asked to implement the recommendations and submit reports within four weeks.

The advisory said "reporting on COVID cases or related deaths should be encouraged to portray the correct picture and magnitude of the problem to help the government".

Among the immediate steps to be taken by the government, the NHRC said the Centre and States must coordinate to provide "continuous, rapid and seamless logistics to meet the demand of oxygen, essential medicines and devices in all healthcare establishments". The advisory also said a single point of contact should be established, particularly for oxygen.

A COVID-19 patient who approaches a government health facility must be given treatment free of cost and those going to private hospitals that have no vacant beds, must be given emergency support till another arrangement is made with the help of a nodal officer of the government, it said. Help-desks at all hospitals and a universal dashboard for bed availability should be set up, the NHRC said.

The advisory said private hospitals should be directed by the government to provide care at "defined and affordable rates" and a cap on essentials like oxygen cylinders, ambulance services and medicines should be imposed.

The NHRC recommended improving the management of cremation and burial grounds by reducing the waiting time using an app.

On vaccination, it said "there should be universal coverage and non-discriminatory pricing of COVID vaccines in all health facilities in the country".

The advisory said all health facilities treating COVID-19 patients should display a "COVID charter of patients rights".

उत्तराखंड न्यूज

उत्तराखंड के होनहार को मिला बड़ा जिम्मा..NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष बने प्रफुल्ल पंत

https://www.rajyasameeksha.com/uttarakhand/17046-praful-pant-becomes-executive-chairman-of-nhrc

उत्तराखंड के होनहार लाल केंद्र में अहम पदों पर सेवाएं देकर देवभूमि का मान बढ़ा रहे हैं। इनमें अब न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत का नाम भी शामिल हो गया है। मूलरूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें अहम जिम्मेदारी मिलने से पिथौरागढ़ के साथ-साथ पूरे राज्य में हर्ष का माहौल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिथौरागढ़ मूल के न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जो कि पूरे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। पिथौरागढ़ के मूल निवासी प्रफुल्ल चंद्र पंत का जन्म 30 अगस्त 1952 को हुआ था। एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र से निकल कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे अहम पर पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन कठिन मेहनत की बदौलत वो हर बाधा को पार करते चले गए। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि ली। साल 1973 में उन्होंने बार काउंसिल इलाहाबाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। साल 1990 में उन्हें उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया।

वो नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल और सत्र न्यायाधीश के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। 29 जून 2004 को उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश पद की शपथ ली। 19 फरवरी 2008 को उन्हें उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली। साल 2013 में प्रफुल्ल चंद्र पंत को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 13 अगस्त, 2014 को उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली। प्रफुल्ल चंद्र पंत 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। साल 2019 में पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य चुने गए थे। अब वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। उनकी उपलब्धि कई मायनों में खास है। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत उत्तराखंड मूल के पहले ऐसे शख्स हैं जो जिला कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं।

Navbharat Times

Violence In Bengal: बीजेपी को नहीं पच रही है हार, बंगाल में हिंसा के लिए वही जिम्मेदारः ममता बनर्जी

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/west-bengal/kolkata/mamata-banerjee-said-bjp-is-responsible-for-violence-in-west-bengal/articleshow/82405022.cms

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का तांडव जारी है। रविवार से शुरू हुई हिंसा में अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीजेपी का दावा है कि मरने वालों में 9 उनके कार्यकर्ता थे। पार्टी ने हिंसा को लेकर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आरोप-प्रत्यारोप के इस माहौल में बुधवार को बंगाल की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर प्रदेश में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी को अपनी हार नहीं पच रही है। चुनाव बाद राज्य में हिंसा के लिए वही पूरी तरह से जिम्मेदार है।

ममता ने बुधवार को टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान बंगाल में हिंसा के लिए क्या बीजेपी ही जिम्मेदार है, के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'हां। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे। जहां पर उन्होंने (बीजेपी ने) जीत दर्ज की है, वहां उन्होंने घरों को आग लगाई है और लोगों की हत्या की है। ज्यादातर हमारे लोग मारे गए हैं।' ममता ने आगे कहा, 'मुझे टीएमसी-बीजेपी से मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि वहां कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी।'

बीजेपी पर बरसीं ममता बनर्जी

ममता ने बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भगवा पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, 'बीजेपी से पूछिए कि उन्होंने यूपी में क्या किया। वे बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। वे त्रिपुरा के लिए क्या कर रहे हैं। वे हमको कोई पाठ न पढ़ाएं क्योंकि मुझे पता है कि लॉ ऐंड ऑर्डर को कैसे टैकल करना है।' ममता ने कहा कि क्या वे जानते हैं कि वे (बीजेपी) कोरोना मरीजों को दवा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये (हिंसा) उनका एजेंडा है। वे हार को नहीं पचा पा रहे हैं। वे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वह असामान्य है।

ममता ने कहा, 'बंगाल एक कल्चर्ड कैपिटल है। आपको लगता है कि हम इसका (हिंसा का) समर्थन करते हैं? नहीं। कोई भी अगर किसी तरह का अपराध करता है तो हम उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे।'

बीजेपी नेता डरकर कर रहे पलायन!

इस बीच दावा किया जा रहा है कि घटना से डरे-सहमे करीब 300-400 बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल से सुरक्षा की आस में असम पहुंचे हैं। यह दावा असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने किया है। सरमा ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि एक दुखद घटनाक्रम में 300-400 बीजेपी बंगाल कार्यकर्ता और परिवार के सदस्यों ने असम में धुबरी में आकर रुके हैं। उन लोगों ने बंगाल में अत्याचार और हिंसा का सामना करने के बाद बॉर्डर पार किया है।

मानवाधिकार आयोग ने दिए जांच के आदेश उधर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चुनाव के बाद हिंसा के मामले सामने आने के बाद जांच का आदेश दिया है। केंद्र ने राज्य में विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं को लेकर सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। Dainik Bhaskar Hindi

महाराष्ट्र सरकार का मराठा आरक्षण वाला एसईबीसी अधिनियम असंवैधानिक

https://www.bhaskarhindi.com/city/news/sebc-act-of-maratha-reservation-of-maharashtra-government-unconstitutional-244296

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनाए फैसले में यह भी कहा कि इंदिरा साहनी केस में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार करने की जरुरत नहीं है। पांच जजों की पीठ में जिस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और रवीन्द्र भट ने अपने फैसले में कहा कि इंदिरा साहनी केस के फैसले के अनुसार मराठा आरक्षण 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन करता है। पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए उन्हें शैक्षमिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता है। मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 50 फीसदी की सीमा को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है और न ही कोई असाधारण स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2018 का अधिनियम समानता के सिद्धातों का उल्लंघन करता है और 50 प्रतिशत से अधिक की सीमा स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी में निर्धारित आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा अच्छा कानून है। लिहाजा इसके फैसले को एक बड़ी बेंच के पास भेजने के त के में हमे कोई तथ्य नहीं मिलता है। इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय का बार-बार पालन किया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि न तो गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट और न ही बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने मराठों के मामले में असाधारण स्थिति को 50 प्रतिशत से अधिक कर दिया है। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यह फैसला 9 सितंबर 2020 तक किए गए मराठा कोटा के तहत पीजी मेडिकल प्रवेश को प्रभावित नहीं करेगा।

इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में इस आरक्षण को 2 मुख्य आधारों पर चुनौती दी गई। पहला इसके पीछे कोई उचित आधार नहीं है। इसे सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है। दूसरा यह 1992 में इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत रखने के दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है, लेकिन जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि असाधारण स्थितियों में किसी व र्ग को आरक्षण दिया जा सकता है।हालांकि, कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर नौकरी में 13 और उच्च शिक्षा में 12 प्रतिशत कर दिया था।

न्यायपालिका ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों जारी रखा

इस मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के विरष्ठ वकील सुहास कदम ने कहा कि मराठा आरक्षण पर फैसला न्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण अगर 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन करता है तो यह सीमा तो पहले ही टूट गई जब केन्द्र सरकार ने संविधान संशोधन कर गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर (ईडब्ल्यूएस) 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। न्यायपालिका ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जारी रखती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला अलग हो सकता था अगर केन्द्र सरकार इसके पक्ष में कोर्ट में ठोस भूमिका रखती। अब भी केन्द्र सरकार के पास अवसर है। वह इस फैसले को चुनौती दे सकती है।

26 से अधिक राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण

मराठा आरक्षण मामले में मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ता दाते पाटील ने कहा कि देश के 26 से अधिक राज्यों ने 50% से अधिक आरक्षण दिया है। यह सभी राज्य इस मामले में प्रतिवादी थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में एक राज्य को अलग और दूसरे राज्य को अलग न्याय क्यों? उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा नियुक्त मेजर जनरल आर सी सिन्हा और सांसद सुदर्शन नच्चीअप्पन समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरक्षण की सीमा बढाने के बारे में सिफारिश की है। मेरी मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखे इस रिपोर्ट को तत्काल मंजूरी देने की जरुरत है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग करना चाहिए।

एनएचआरसी का अस्पतालों में घटित हादसों की शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बेकाबू हुए हालातों के बीच अस्पतालों में आग और ऑक्सीजन लीक के हादसों को लेकर एडवोकेट राजसाहेब पाटील की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। एड पाटील ने एनएचआरसी से शिकायत में बीते चार महीने के दौरान अस्पतालों में घटित कई हादसों का जिक्र किया था, जिसमें 9 जनवरी 2021 को भंडारा के एक अस्पताल के सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट में आग लगने से 1 से 2 महीने 10 नवजात शिशुओं की मौत, 27 मार्च को मुंबई के एक अस्पताल में आग, 10 अप्रैल को नागपुर के एक असपताल में आग, 21 अप्रैल को नासिक स्थित डॉ जाकिर हुसैन अस्पताल में टैंकर से ऑक्सीजन सप्लाई के दौरान हुए लीकेज से 24 मरीजों की मौत और 23 अप्रैल को मुंबई के विरार स्थित विजय वल्लभ कोविड केयर अस्पताल में के आईसीयू में लगी आग में 13 मरीजों की मौत आदि शामिल है। एनएचआरसी ने अपने आदेश में कहा है कि

DAINIK BHASKAR, Online, 6.5.2021

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इन स्थानों पर इस तरह की घटनाएं लापरवाही, पर्यवेक्षण की कमी, अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी के साथ अन्य एहितयाती उपायों का अभाव के कारण घटित हुए है। अपने कर्तव्य के निर्वहन में लोकसेवकों द्वारा लापरवाही बरतना भी एक कारण है। शिकायत में इन हादसों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कड़ी कारवाई के आदेश देने संबंधी राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। इस पर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और फायर स विंस विभाग के निदेशक को नोटिस जारी करते हुए मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।